संख्या- 93/2020/778/छप्पन-2020-31/2016(NIAL)

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 16 दिसम्बर, 2020

विषय: Noida International Airport Limited (NIAL) के विभिन्न कार्यों हेतु रू0 10.00 करोड़ के Corpus Fund के सापेक्ष नागरिक उड्डयन विभाग के अंश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-65/ना0उ0नि0/2020 दिनांक 26 मई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा Noida International Airport Limited (NIAL) के विभिन्न प्रशासनिक व्ययों हेतु नागरिक उड्डयन विभाग/उत्तर प्रदेश सरकार के अंश की धनराशि रू0 3.75 करोड़ (रूपया तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि को NIAL के बैंक खाते में जमा करने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि Noida International Airport Limited (NIAL) के विभिन्न प्रशासनिक व्ययों हेतु बनाए गए रू0 10.00 करोड़ के Corpus Fund के सापेक्ष नागरिक उड्डयन विभाग/उत्तर प्रदेश सरकार की अंशधारिता 37.50 प्रतिशत के अनुसार धनराशि रू0 3.75 करोड़ (रूपया तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय करने तथा उक्त धनराशि को NIAL के बैंक खाते में जमा करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/ आदेशों/प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 एवं दिनांक 18 मई, 2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) आहरित धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चत करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(8) Noida International Airport Limited (NIAL) द्वारा उक्त धनराशि का व्यय करने के पश्चात् व्यय का सम्पूर्ण विवरण शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय उपलब्ध कराया जाएगा।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3.75 करोड़ (रूपया तीन करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखी जाएगी। जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा उक्त धनराशि NIAL के बैंक खाते (Bank Name and Branch-S.B.I. Greater Noida Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh-201308, A/C No.38491000655, IFSC Code- SBIN0004324) में जमा कराई जाएगी।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या 38 के पूँजीगत लेखा 'लेखाषीर्शक 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02 विमानपत्तन-800 अन्य व्यय-03 जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में एयरपोर्ट की स्थापना हेतु गठित ''नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड'' के प्रशासनिक व्यय हेतु स्थापित कॉरपस फण्ड में अंशपूंजी विनियोजन-30 निवेश/ऋण'' से वहन किया जाएगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-7-1317/दस-2020, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या- 93/2020/778(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

7- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

8- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

9- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

10- विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/नोडल अधिकारी, नॉएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0, आफिस नं0 1-15 ब्लाक पी-2, सेक्टर-ओमेगा-1, ग्रेटर नॉएडा 201308, जिला गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।

11- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

13- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेन्द्र कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।